समाहरणालय, सीतामढ़ी

(जिला कल्याण प्रशाखा)

सूचना

सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत निम्नांकित प्रखंडों में विकास मित्र के रिक्त पदों पर चयन हेतु सुयोग्य आवेदको से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिनांक–31.01.2026 तक संबंधित प्रखंड कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। रिक्त पदो का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	विकास मित्र के रिक्त पंचायत/वार्ड का नाम	प्रखंड का नाम	अनुमंडल का नाम	पदों की सं0	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	डायन छपरा	बथनाहा	सीतामढ़ी सदर	01	चमार (महिला)	मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त।
2	सुरसंड उत्तरी	सुरसंड	पुपरी	01	चमार (सामान्य)	सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त।

चयन हेतु अर्हता

1. जो पंचायत/नगर पंचायत (वार्ड समुह) जिस जाति के लिए आरक्षित है, उसी जाति कोटि के आवेदक (महिला/पुरूष) द्वारा विकास मित्र के पद पर चयन हेतु आवेदन किया जायेगा।

2. आवेदक को संबंधित पंचायत/नगर पंचायत(वार्ड समूह) का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के साथ अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत निवास प्रमाण–पत्र की स्व0 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.आवेदन–पत्र के साथ अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्व0 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र (अंक पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र) आदि की स्व0 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

5.आवेदक की उम्र दिनांक–31.12.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50(पचास) वर्ष होनी चाहिए।

6.मैट्रिक या समकक्ष के सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा।

7. समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्हता संबंधी विस्तृत विवरण बिहार महादलित विकास मिशन के Website www.mahadalitmission.org पर देखा जा सकता है।

8. विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता क्षांत करना :–

9. निर्धारित योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है।

i. नन– मैट्रिक
ii. नौवीं पास
iii. आठवीं पास
iv. सातवीं पास
v. छठ्ठा पास
vi. पाँचवी पास

सर्वप्रथम नन–मैट्रिक, उसके पश्चात नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में नीचे के शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक का चयन नहीं किया जायेगा।

नन–मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति/प्राप्तांक आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

आठवीं से पाचवीं पास तक के अभ्यर्थियों से विद्यालय परित्याग पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लिया जायेगा।

वैसी स्थिति में जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।

अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगें।

महिलाओं के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयन किया जा सकता है। शर्तें वे अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हों तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो।

इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थी के चयन में स्वविवेक से निर्णय लिया जायेगा।

किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम से ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत/जाति बहुलता के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा।

जिला परियोजना पदाधिकारी –सह–
जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी

PR- 021583 (Welfare) 2025-26

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।